राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प.10(3)राज–6 / 2001 / पार्ट / 152   जयपुर, दिनांक 06/09/2022

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान।

–:परिपत्र:–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 की अनुपालना में जारी परिपत्र कमांक प.10(3)राज–6/2001/पार्ट–5 दिनांक 26.06.2012 की निरन्तरता में यह निर्देश जारी किये जाते हैः–

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कोई भी गैर मुमकिन नाला, तालाब, नदी, बांध अथवा पायतन या अन्य केचमेंट एरिया में किसी भी प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया जाना प्रतिबंधित है।

अतः यदि ऐसी भूमियों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 का उल्लंघन कर किसी भी प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो ऐसे अधिकारी अनाधिकृत रूप से किये गये आवंटन/नियमन के लिये व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होगें एवं उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

आज्ञा से,

06/09/22
(एम.डी.रत्नू)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग (ग्रुप..................................), सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
6. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. रक्षित पत्रावली।

06/09/22
उप शासन सचिव